


राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर।

विविध प्रार्थना पत्र संख्या 22/2013.(मूल निगरानी संख्या 44/2009).....जिला.....बीकानेर.....

उनवान- श्री गुरुवेन्द्र सिंह पुत्र श्री लाभसिंह सिख; तह0 छत्तरगढ जिला बीकानेर बनाम राजस्थान सरकार उ  
उपपंजीयक, छत्तरगढ जिला बीकानेर

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनीशियल जज	नम्बर व त अहकाम जे हुकम की त में जारी
27.01.2015	<p style="text-align: center;"><u>एकलपीठ</u> <u>आशा कुमारी - सदस्य</u></p> <p>अप्रार्थी विभाग की ओर से श्री अनिल पोखरणा, उपराजकीय अभिभाषक उपस्थित। प्रार्थी अभिभाषक बट्टीप्रसाद द्वारा हस्ताक्षरित प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किया, जो पत्रावली पर उपलब्ध है, जिसमे राज्य सरकार द्वारा जारी अधिसूचना क्र. प.2(6)वित्त/कर/2014 -143 दिनांक 16.12.2014 का लाभ लेने हेतु प्रस्तुत निगरानी को <b>विद्वज्ज</b> करने हेतु निवेदन किया गया। विद्वान उप राजकीय अभिभाषक ने इस प्रार्थना पत्र के संबंध में प्रस्तुत निगरानी को विद्वज्ज करने के संबंध में किसी प्रकार की आपत्ति प्रकट नहीं की गयी।</p> <p>फलस्वरूप प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के आधार पर निगरानी <b>विद्वज्ज</b> करने की अनुमति दी जाती है। अतः प्रस्तुत विविध प्रार्थना पत्र संख्या 22/2013 "सारहीन" हो जाने के कारण जरिये विद्वज्ज खारीज की जाती है।</p> <p>आदेश सुनाया गया।</p> <div style="text-align: right;">                   (आशा कुमारी)                  सदस्य             </div>	